


51.

16/2/2023
राज्य आरक्षी केन्द्र
सुपानिरीक्षक / प्रधान
1123 द्वारा शान्त धारा
203/16 अतर्गत
गा०द०रा० / का० म०
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्र / परिवार पत्र प्रस्तुत किया गया।
आरक्षक / आरक्षक की ओर से अधीन दण्डनीय अगियोग
उपनिरीक्षक / उपनिरीक्षक साहायक
ए०डी०पी०ओ० श्री ए०डी०पी०ओ०

अभियुक्त / अभियुक्तागण.....
 दि. ०२/०३/२०२०..... डा. २०२०

1274 03010101
निवासी / निवासोपगण
शाना 01123 जिला
उपस्थित । अभियुक्त / अभियुक्तगण
श्री  द्वारा
किया ।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समर्थार्थी के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार धारा 304(1) के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304(1) के अधीन संज्ञान विधिमान का आदेश किया जाता है।

क्रमांक का पंजीयन आचार्य महाराज

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्री कृष्णाय नमः